**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 841**

**दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**गैर-सूचीबद्ध दवाओं के मूल्यन तंत्र में संशोधन**

**841. श्री आनन्द शर्मा:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सूचीबद्ध दवाओं का मूल्य निर्धारित करने की पद्धति में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) दवा उद्योग की वृद्धि पर इन संशोधनों का क्या प्रभाव होने की संभावना है; और

(ग) क्या हितार्थियों से कोई परामर्श किया गया था और यदि हां, तो नई मूल्यन पद्धति को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क): इस समय गैर-अनुसूचित औषधियों की मूल्य निर्धारण पद्धतियों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*